

V190/CR.J.(e)

SUMMERY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE  
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the court of प्रतिष्ठा अवस्थी जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड म0प्र  
Case No 363-2016

---

Name, parentage, caste and address of accused

---

रज्जाक पुत्र सत्तार खां उम्र 45 साल निवासी खरौआ गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---

The offence complaint of its alleged commission.

आप घटना दिनांक 22/09/2016 के 20:30 बजे खरौआ गेट वार्ड क09 गोहद में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रुपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

---

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ कियाजावे।

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

## // निर्णय //

(आज दिनांक 19/11/16 को पारित किया गया)

1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है। आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है।
3. आरोपी स्वतंत्र हों।
4. प्रकरण में जप्तशुदा 200/- रुपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं लीड मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-19/11/16

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसीगोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसीगोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
सकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
सकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य